(1वाद 54-151.

आ०८६ - ५

भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय परगनाधिकारी तहसील महाराज गंज (सदर)

वाद संख्या – 26 धारा 143 यू0पी0जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट

ग्राम जंगली दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महाराज गंज 2000।

शांति फाउण्डेशन बनाम सरकार

नकल - निर्णय दि० 21/1/15

प्रस्तुत वाद श्री शांन्ति फाउण्डेशन स्थित 132 जी0 एच0 अशोक नगर वसारतपुर शहर गोखपुर द्वारा मुख्य ट्रस्टी अभय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व श्री केशव चन्द श्रीवास्तव निवासी 132 जी0 एच0 अशोक नगर वसारतपुर शहर गोरखपुर द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के प्रार्थना पत्र पर प्राप्त तहसीलदार सदर महाराज गंज से आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार सदर महाराज गंज ने अपनी आख्या दिनांक 03–01–2015 प्रस्तुत करते हुए तथा प्रार्थी/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नकल खतौनी और प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित ग्राम जंगली दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महाराज गंजके खसरा नं0 1708 क्षेत्रफल 0.785 है0 लगानी 19.40 रू0 सालाना जो कि माल कागजात में वादी/संस्था के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, को आबादी दर्ज कराने की प्रार्थना के साथ अकृषक भूमि प्रयोग होने के कारण प्रस्तुत किया था, में वर्तमान मे निर्माण कार्य होना व्यक्त करते हुए उक्त समस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पक्ष उ0प्र0 सरकार के द्वारा नामिका वकील को समन जारी किये गये, जो बाद तामील संलग्न पत्रावली हैं।

मैनें विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिक परिशीलन किया। वादी ने दिनांक 20–12–2014 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी संक्रमणीय भूमिधरी को अकृषक घोषित कर

— 2 पर

Trustee
Shanti Foundation
Gorakhpur

दिया जाये। तहसीलदार की जांच से स्पष्ट हुआ कि खसरा नं0 1708 क्षेत्रफल 0.785 है0 लगानी 19.40 रू0 सालाना में कृषि कार्य नही हो रहा है तथा मौके पर निर्माण चल रहा है। धारा–143 के अन्तर्गत किसी गाटे को आबादी/अकृषिक तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसका वास्तविक उपयोग गैर कृषि प्रयोजन मे किया जा रहा हो। उपरोक्त गाटों को वास्तविक रूप से कृषि प्रयोजन मे प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है तथा समस्त भूमि कृषि भूमि नही रह गयी है, आबादी के रूप मे प्रयोग की जा रही है और निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि को नियमानुसार धारा–143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की तहत आबादी घोषित कर दिया जाये।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर घोषित किया जाता है कि ग्राम जंगली दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कँटहरा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महाराज गंज के खसरा नं0 1708 क्षेत्रफल 0.785 है0 लगानी 19.40 रू0 सालाना का अकृषिक उपयोग किये जाने के कारण आबादी घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति निबन्धक सदर महाराज गंज को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 21–01–2015

उपजिलाधिकारी
सदर महाराज गंज

नकल सवाल का दिनांक 19/1/15
नकल तैयारी का दिनांक 27/1/15
नकल जारी का दिनांक 28/1/15
तादात स्टाम्प

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार 27.1.15

Trustee
Shanti Foundation
Gorakhpur

नकल कर्ता
मुकाबला कर्ता